HACT AN ASWATCHE Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042020-219087 CG-DL-E-21042020-219087

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] · No. 197]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2020/दैशाख 1, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2020/VAISAKH 1, 1942

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 255(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 का अधिक्रमण करते हुए, जहाँ तक उनका संबंध हिंदी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतदद्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में विरिष्ठ अनुवादक और किन्छ अनुवादक (समूह 'ख' अराजपत्रित) के पदों पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करते हुए निस्निचित्र नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का नाम विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ख' अराजपत्रित) राजभाषा भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि पूर्वोक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. अनर्हताः कोई व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है। या विवाह का अनुवंध किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पढ़ पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामल में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- नियम शिथिल करने की शक्ति : जहां कंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, बहा वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
- व्यावृत्ति : इन नियमों में उल्लिखित कोई वात, आरक्षण, आयु मीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व मैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपदंघ यसना अपेक्षित है।

वेतन लेवल गैर-चयन

44900

142400)

पद

अनुसूची सीधी भर्ती के सीधी भर्ती के लिए सीधी चयन भर्ती के लिए अपेक्षित निर्धारित आयु और मैट्रिक्स में अथवा

शैक्षिक और शैक्षिक अर्हनाएं प्रान्नत लिए व्यक्तियों के मामले में अन्य अर्हताएं आयु-लाग होंगी या नहीं। सीमा 6

लागु नहीं होता लागू नहीं होता

लाग् सामान्य केन्द्रीय वेतन चयन-पद ਕ੍ਰਿੲ 9° (2020) सेवा, नमृह 'ख' मेट्रिक्स में अन्यादक अराजपत्रित लेवल 7 के आधार पर अलिपिकवर्गीय (रूपये

वर्गीकरण

का पदों की संख्या

परिवर्तन किया

आ स्वता है।

पद

नाम

नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे या प्रोचिति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
0	10	11
त्सम् नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वितन मेट्रिक्स में लेवल6 (रूपयं 35400-112400) के किनष्ट अनुवादक, विन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित संवा पृरी कर ली हो और उन्होंने केन्द्रीय अनुवाद व्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से चार समाह का अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पणी: जहां किनएठों जिन्होंने अपनी अर्हकारी या पात्रता सेवा पूरी यह ली है पर प्रोन्नति के लिए वित्रार किया जा रहा हो, उनके विरुद्धां भी प्रोन्नति के सामले पर भी विचार किया जा रहा हो, उनके विरुद्धां भी

 अर्हकारी या पालता सेवा की आधी अबिध या दो वर्ष, लो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कॉनिप्छों के साथ अगले उच्च ग्रेंड में प्रोक्सित के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
मूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) । निम्नलिखित सदस्य होंगे :-	लागू नहीं होता
मंयुक्त सचिव और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के मुख्य पासपोर्ट अधिकारी-प्रभारी - अध्यक्ष केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के उप सचिव या अवर सचिव- प्रभारी -सदस्य केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी या उप पासपोर्ट अधिकारी -सदस्य	

1	2	3	4	5	6
2. कनिष्ठ अनुवादक	55*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (रूपये 35400- 112400)		

7	8
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री; या	लागू नहीं होता
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री; या	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी या अंग्रेजी से इतर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री; या	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और हिन्दी या अंग्रेजी से इतर किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री; या	
केन्सी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी और परीक्षा के माध्यम के रूप में इनमें से दूसरी भाषा में के साथ हिन्दी और	

अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से इनर किसी भी विषय में स्नातकोत्तर हिंगी; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी या विषरीत में अनुवाद में हिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या

भाग्त सरकार के उपक्रम सिंहत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी या विषरीत में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव; या

टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारण के साथ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर शिथिल की जा मकती हैं।

टिप्पणी 2: अनुसूचित जानियों और अनुमूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव मंत्रिधी अर्हताएं, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारण के साथ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम पर्धिकारी के विवेकाधिकार से शिथिल की जा सकती है मगर चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भग्ने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

		ALL PROPERTY OF THE PROPERTY O
9	10	11
टो वर्ष	मोधी भर्ती द्वारा :	वाम् नहीं
	नाट: पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों को उन केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और जिनके पास कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के निए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव हो।	

12	13
ममृह 'ख़' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सदस्य होंगे :- 1. संयुक्त मचिव और केन्द्रीय पामपोर्ट मंगठन के प्रभारी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी - अध्यक्ष 2. केन्द्रीय पासपोर्ट मंगठन के प्रशासन के प्रभारी उप सचिव वा अवर सचिव - सदस्य	111
 केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी या उस पासपोर्ट अधिकारी - सटस्य 	

[फा. सं. सीडीआर. II/801/06/2017]

अरूण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

- G.S.R. 255(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs. Central Passport Organisation (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Translator and Junior Translator (Group 'B', Non-Gazetted) in the Central Passport Organisation of the Ministry of External Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'B' Non-Gazetted) Official Language Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.
- 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number posts.	of	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits.
(1) 1. Senior Translator.	9* (2020) *Subject variation dependent workload.	to on	(3) General Central Service, Group'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	(4) Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	post (5)	(6) Not applicable.

Educational and other qualifications, required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Junior Translator in level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully completed mandatory translation training of four weeks from the Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.
Joim Secretary and Chief Passport Officer in-charge of Central Passport Organization — Chairman;	
2. Deputy Secretary or Under Secretary in-charge of administration of Central Passport Organisation — Member;	
Assistant Passport Officer or Deputy Passport Officer of Central Passport Organisation — Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	/5)	
2. Junior Translator.	55* (2020)	General	Level-6 in	(5) Not applicable.	(6)
11anslator.	* Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group 'B', Non-Gazetted,	the pay matrix (Rs.35400- 112400).	rvot applicatile.	Not exceeding 30 year (Relaxable for Governments upto five years accordance with instruction or orders issued by the
	· ·	Non- Ministerial.			Note: The crucial date to
					determining the age-lin shall be as advertised by t Staff Selection Commissio
Fecantial . /		(7)			(8)
level; or		system as the	medium of e	in Hindi with English xamination at Degree	Not applicable
	.,	meaning exami	nation at Degr	lindi as a compulsory	
English with	e of a recogn Hindi medium	read Haritranaire	n any subject	other than Hindi or or elective subject or	
Master Degre English with I	e of a recogn English medin	icad University	n any subject	other than Hindi or or elective subject or	
Master Degree English with F	e of a recogni Hindi and Engl nedium of exa	sed University in	any subject	other than Hindi or e subject or either of mpulsory or elective	
	- Billed Off	craity of manufact	or	to English and vice	
ndia undertaki	ng.	care Government	office, includ	glish and vice versa ling Government of	
	COMPULCIN M	re relaxable at the authority, for reas se well qualified.	One to be	the Staff Selection orded in writing, in	
ote 2: The que Staff Selected in write Scheduled To Competent April 1885 these committees are the committees of the selected the committees of the selected the s	tion Commission registion Commissions in the case ribes if at any authority, is or munities posse	garding experience sion or Compete e of candidates be stage of selection of the opinion that	e is relaxable nt Authority, clonging to the the Staff Sele sufficient nur	at the discretion of for reasons to be e Scheduled Castes ection Commission mber of candidates are not likely to be	
(9)			(10)		(11)
Two years.	Byd	irect recruitment.			Not applicable.
	other may Centra regula qualif	circumstances for be filled on dep al Government r basis and	r a duration of putation basis holding and possessing perience pres	mbent being away dy leave or under fone year or more form officers of logous posts on the educational cribed for direct	тос аррисавте.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering	Not applicable.
confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary and Chief Passport Officer in-charge of Central Passport	
Organisation - Chairman: 2. Deputy Secretary or Under Secretary in-charge of administration of the	
Central Passport Organisation - Member; 3. Assistant Passport Officer or Deputy Passport Officer of the Central	
Assistant Passport Officer of Deputy Passport Passport Organisation – Member.	

[F. No. CDR.II/801/06/2017]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 256(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपति एतदद्वारा विदेश मंत्रालय के केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क', राजपत्रित क पद पर भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का नाम विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'क' अराजपत्रित) राजभाषा अधिकारी भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या. उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अईताएं आदि पूर्वोक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अईताएं और उससे मंबंधित अन्य बानें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- अनर्हताः कोई व्यक्ति-
- (व) जिसने ऐसे व्यक्ति में जिसका पिन या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुवंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मासले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमन्य है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 5. नियम शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों में उल्लिखित कोई वात, आरक्षण, आयु मीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अस्मृत्तित जातियां, अनुस्थित इनका नियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व मैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के जिए कार्यक्ष सरका अपेक्षित हैं:

अनुसूची

				08	
गद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	3*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	लेवल-10 में, वेतन मैट्रिक्स (56100- 177500 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती अपेक्षित शैधि अर्ह्ताएं	के लिए इक और अन्य	क्या प्रोन्नति के म भर्ती हेतु बिनिः शैक्षणिक योग्यता	र्देष्ट आयु और	परिनीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधं या प्रोन्नति द्वारा वा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होंगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतना
(7)		(8)		(9)	(10)
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, पर यदि नहीं हुई तो प्रतिनियुक्त द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

पदोन्नति:

विरिष्ठ अनुवादक जो वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में लेवल 7 में केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में कार्य कर रहे हैं और इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हैं तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलनापूर्वक पूरा कर चुके हैं।

टिप्पणी : जहां कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हकारी या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो. उनके वरिष्ठों की प्रोन्नति के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हकारी या पात्रता सेवा की आधी अविधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अविधे सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा संहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:-

- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सृदश पद पर हों, या
- (ii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100रुपए) वेतन लेवल 8 या वेतन मैट्रिक्स के लेवल 9 (53100-167800 रुपए) अथवा मूल संवर्ग या विभाग के समत्त्व्य पद पर की दो वर्ष की नियमित सेवा; या
- (iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 (44900-142400 रुपए) या मूल संवर्ग या विभाग के समतुल्य पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हना और योग्यता रखता है:
- (i) सान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के साध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री।

किमी सान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर <mark>डिग्री और साथ ही डिग्री</mark> स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के इतर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो; अथवा

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी और परीक्षा के माध्यम के रूप में इनमें से दूसरी भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से इतर किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; तथा

(ii) हिंदी में शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का कार्य अथवा उपयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी मे अंग्रेजी अनुवाद कार्य का केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा वैधानिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत अधिमानत: तकनीकी अथवा वैज्ञानिक माहित्य संबंधी कार्य का तीन वर्षों का अनुभव; अथवा

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा वैधानिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मात्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्षों का अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में संविधान की आठवीं सूची में हिंदी के अलावा शामिल भाषाओं में मे किसी एक का अध्ययन किया हो।

टिप्पणी 1: प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पर्णा 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अबधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अबधि शामिल हैं, साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि एक विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।

(12)

गमृह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:

- अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष
- विदेश भंजालय के पीएसपी प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा अपर मचिव - सदस्य;
- संयुक्त सिविव (पीएसपी) और सुदृष गुमपोर्ट प्रधिकारी - सदस्य;
- पीएसपी प्रभाग, बिदेश मंत्रालय में निदेशक अथवा उप सचिव – सदस्य।

समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के लिए) में शामिल हैं:-

- 1. संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश संत्रालय - अध्यक्ष:
- 2. निदेशक अथवा उप सचिव, विदेश मंत्रालय मदस्य;
- 3. अवर सचिव अथवा उप पानपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय सदस्यः

एसी परिस्थितियां जहां भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो।

(13)

प्रत्यक अवस्य पर पत्रों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. मीर्डाओर, II/801/06/2017]

अरूण कुमार चटजीं संयुक्त सचिव (पीएमपी) एवं मुख्य पासपीटं अधिकारी

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

- G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language), Group 'A', Gazetted, post in the Central Passport Organization of the Ministry of External Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'A' post) Official Language Officers Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
- Disqualification.—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language).	3* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service. Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recrists	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or
1 description (reades from Which Diolinouni of
f requirement by promotion of deputation/absorption, grades from
in case of rectalanear by promoters of arr
deputation/absorption to be made.
deputation/apsorption to be made.
dobatation === 1

(11)

Promotion:

Senior translator of the Central Passport Organisation working in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years of regular service in the grade and have successfully completed the training of 2-4 weeks as prescribed by the Department concerned.

Note: Where juniors in the grade of Senior Translator who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

- Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research institution,-
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department: or
- (ii) with two years regular service in the posts in level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or Department; or
- (iii) with three years regular service in posts in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualification and experience:
- (i) Master Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at Degree level; or
- Master Degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at Degree level; or
- Master Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with
- lenglish medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at Degree level; or
- Master Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with
- ! Uindi and English as a compaisory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the indicens a compulsory or elective subject at Degree level; and
- (ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation agest, from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Covernment or State Geograments or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or a recognise of people or educational institutions; or

three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the constitution at 10th level from a recognised Board.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

s, what is its composition.
partmental Confirmation Committee (for onfirmation) consisting of:-
ecretary (PSP) and Chief Passport Office ternal Affairs - Chairman;
or Deputy Secretary, Ministry of Externa
3. Under Secretary or Deputy Passport Officer, Minist External Affairs- Member.
o be consulted in making recruitment.
n t

[F. No. CDR.II/801/06/2017]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

